

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 15, 2018/फाल्गुन 24, 1939	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 467
No. 60]	DELHI, THURSDAY, MARCH 15, 2018/ PHALGUNA 24, 1939	[N.C.T.D. No. 467

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 14 मार्च, 2018

सं. एफ. 18(7)/2009/डीडब्ल्यूसीडी/स्थापना/-53090/53100.—संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं. एफ. 27(59)/एचआईएम(I) दिनांक 13 जुलाई, 1959 के तहत, माननीय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा अधिसूचना सं. एफ.18(7)/2009/डीडब्ल्यूसीडी/इस्टीटी/32833 दिनांक 12.01.2017 जो समाज कल्याण विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में कल्याण अधिकारी/ परिवीक्षा अधिकारी / जेल कल्याण अधिकारी, के पद हेतु नियुक्ति प्रक्रिया एवं आवश्यक शैक्षिक योग्यता के नियमों से संबंधित है, के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये जाते हैं:-

**संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ -(1)** इन नियमों को समाज कल्याण / महिला एवं बाल विकास विभाग, कल्याण अधिकारी / परिवीक्षा अधिकारी / जेल कल्याण अधिकारी (संशोधन) भर्ती नियम, 2018 कहा जायेगा।

**(2)** यह दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम नंबर 9 के तहत मौजूदा प्रविष्टि (परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(9) परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	सीधी भर्ती एवं पदोन्नति पाने वाले हेतु 2 वर्ष <b>नोट:-</b> सीधी भर्ती से आने वाले अभ्यर्थी हेतु 2 सप्ताह का सफल आरंभिक प्रशिक्षण यूटीसीएस/निपसिड से कराया जाना अनिवार्य है जिसके अन्तर्गत पद के कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों निहित हैं, जो परिवीक्षा का एक भाग है।"
---------------------------------------	---

माननीय उपराज्यपाल दिल्ली, द्वारा नामित एवं आदेशित,  
पी. सी. जैन विशेष सचिव

## DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 14th March, 2018

**No. F. 18(7)/2009/DWCD/Estt./53090-53100.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. F. 27(59)/Him.(i), dated the 13<sup>th</sup> July, 1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following amendment in the Notification No. F. 18(7)/2009/DWCD/Estt./32833, dated 12<sup>th</sup> January, 2017 containing the rules regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Welfare Officer/Probation Officer/Prison Welfare Officer in the Department of Social Welfare/Women and Child Development, Government of National Territory of Delhi, namely:-

**Short Title and Commencement:**—(i) These rules may be called the Department of Social Welfare/Women and Child Development Department, Welfare Officer/Probation Officer/ Prison Welfare Officer (Amendment) Recruitment Rules, 2018.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

In the schedule annexed to the said Notification for the existing entry under Column No. 9 (Period of Probation, if any) the following shall be substituted, namely:-

"(9) Period of Probation, if any	Two Years for Direct Recruits and promotes <b>Note:</b> Successful mandatory induction training of at least two weeks for Direct Recruits as part of probation in the field of duties and responsibilities of the post from Union Territory Civil Service/National Institute of Public Cooperation and Child Development".
----------------------------------	---

By Order and in the Name of the Lt. Governor, Delhi,

P. C. JAIN, Special Secy.